[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–18 एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है

(2) यह 09 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2012 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम,2012 की धारा 3 की उप–धारा(2) के खण्ड (ख) में, ''पांच'' शब्द के स्थान पर, ''सात'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 (2012 का हरियाणा अधिनियम 27) के तहत किया गया है। आयोग को राज्य में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा एवं उनके संवर्धन की वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से संबंधित शिकायतों, ज्ञापनों और अन्य मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप आयोग के कार्यभार और जिम्मेदारियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में आयोग में पांच गैर–सरकारी सदस्य हैं। बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए यह संख्या आयोग के कार्यों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, आयोग की कार्यक्षमता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 3 (2) (ख) में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। इसके तहत गैर–सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात करने का प्रस्ताव है।

चूंकि उस समय हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी, इसलिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 9 जुलाई, 2026 को हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) में "पांच" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द कर दिया गया। अब उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने तथा किए गए संशोधन को विधिवत प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में उक्त संशोधन को स्थायी रूप से लागू करने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक है।

श्रुति चौधरी,
महिला एवं बाल विकास, मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 से उद्धरण

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

धारा 3(2)(ख) :

"एक उपाध्यक्ष और ज्यादा से ज्यादा पाँच सदस्य, जिन्हें सरकार काबिल, ईमानदार और प्रतिष्ठित लोगों में से चुनेगी। इन लोगों को कानून, कानून बनाने, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री मैनेजमेंट या महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने वाले संगठनों, महिलाओं के वॉलंटरी संगठनों (महिला एक्टिविस्ट सहित), प्रशासन, आर्थिक विकास; स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण के क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए :

शर्त यह है कि कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से होना चाहिए।"

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12826—H.V.S.—H.G.P., Pkl.